42 2 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों(सीपीएसई) के वर्गीकरण के लिए मानदंड/मानक

अधोहस्ताक्षरी को केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम की उपयुक्त सूची में श्रेणीकरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले दिशानिर्देश देने वाले इस विभाग के दिनांक 9 अक्तूबर के का.ज्ञा. सं. 9(15)/99–जीएम–जीएल–28 एवं दिनांक 9 अक्तूबर के का.ज्ञा. सं. 9(15)/99–जीएम–जीएल–29 (प्रारंभिक श्रेणीकरण तथा पुनः श्रेणीकरण के लिए) का संदर्भ देने का निदेश हुआ है।

2. सभी सीपीएसई को अनुसूची 4 में नामतः अनुसूची 'क', अनुसूची 'ख', अनुसूची 'ग' एवं अनुसूची 'घ' में श्रेणीकृत किया जाना जरूरी है। सीपीएसई के इस श्रेणीकरण का निहितार्थ मुख्यतः संबंधित सीपीएसई के संगठनात्मक ढांचे एवं बोर्ड स्तरीय पदधारियों के वेतन से है।

3. सीपीएसई के श्रेणीकरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त किए जा रही प्रक्रिया एवं पैरामीटर को पब्लिक इंटरप्राइजेज विभाग द्वारा पुनः जांचा गया और यह निर्णय लिया गया कि मामूली संशोधनों के साथ श्रेणीकरण की वर्तमान प्रक्रिया के साथ बने रहा जा सकता है। श्रेणीकरण के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त प्रक्रिया एवं पैरामीटर इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं–

(i) सीपीएसई के श्रेणीकरण के प्रस्ताव 'संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा पहल किए जाते रहेंगे और डीपीई को प्रस्तुत किए जाएंगे जो सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के परामर्श से ऐसे प्रस्तावों की जांच करेगा। सीपीएसई के श्रेणीकरण के प्रस्ताव को वित्तीय सलाहकार की सहमति तथा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से डीपीई को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(ii) इस प्रस्ताव में निम्नलिखित परिणामात्मक पैरामीटरों (सार्वजनिक उद्यमों सर्वेक्षण के अनुसार परिभाषाएं) पर विगत पांच वर्षों के लिए संबंधित सीपीएसई का कार्यनिष्पादन होना चाहिए।

- निवेश
- नियोजित पूंजी
- कुल बिक्री
- कर पूर्व लाभ
- राजस्व प्रति कर्मचारी
- बिक्री/नियोजित पूंजी
- क्षमता उपयोग
- प्रति कर्मचारी मूल्यवर्द्धन

(iii) श्रेणीकरण के प्रस्ताव में संबंधित सीपीएसई से जुड़े निम्नांकित परिणामी कारकों का ब्यौरा भी होना चाहिए।

- राष्ट्रीय महत्व
- क्रियाकलापों के विस्तार व विविधीकरण की संभावनाएं
- तकनीकी स्तर
- क्रियाकलापों के विस्तार और विविधीकरण के लिए संभावनाएँ
- अन्य क्षेत्रों से प्रतियोगिता

(iv) निम्नलिखित कारकों से जुड़ी सूचनाएं, जहां कहीं उपलब्ध हो, भी श्रेणीकरण के प्रस्ताव में शामिल की जानी चाहिए।

- शेयर की कीमत
- एमओयू रेटिंग
- महारत्न/नवरत्न/मिनीरत्न स्थिति
- आईएसओ प्रमाणपत्र

(v) उक्त बातों के अलावा, सीपीएसई से जुड़ी महत्वपूर्ण/रणनीतिक महत्व को ध्यान में रखा जाता रहेगा।

(vi) प्रारंभिक श्रेणीकरण के मामले में, यदि उक्त परिणामी कारक से संबंधित विगत निष्पादन के आंकड़े उपलब्ध न हो, तो सीपीएसई की स्थापना से जुड़ी मंत्रिमंडल नोट में अनुमानित आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4. संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को निम्नलिखित विवरणों/सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ सीपीएसई के श्रेणीकरण के लिए सेल्फ–कंटेन्ड व्यापक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए।

(i) उपरोक्त पैरा 3(ii), (iii) एवं (iv) में वर्णित पैरामीटरों से संबंधित विगत पांच वर्षों के लिए वित्तीय, भौतिक एवं गुणात्मक आंकड़ों द्वारा समर्थित किसी विशेष अनुसूची में सीपीएसई के श्रेणीकरण को प्रस्तावित करने के लिए पूर्ण तर्कसंगतता।

(ii) मंत्रिमंडल के निर्णय के सार तथा सीपीएसई के ज्ञापन एवं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की प्रति के साथ–साथ सीपीएसई की स्थापना के लिए मंत्रिमंडल नोट की प्रति। (प्रारंभिक श्रेणीकरण के मामले में लागू)

(iii) उपरोक्त पैरा 3 (ii) में वर्णित गुणात्मक पैरामीटरों के संदर्भ में सीपीएसई में चौथे स्तर के सभी पदों तथा उनके संबंधित वेतनमानों को दर्शाते हुए मौजूदा संगठनात्मक संरचना। कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत शामिल सीपीएसई की तुलना श्रेणीकरण के प्रयोजन के लिए समान सीपीएसई से की जाएगी।

(iv) संबंधित सीपीएसई की कॉर्पोरेट योजना।

(v) प्रस्ताव की वित्तीय निहितार्थ।

5. व्यक्तिगत आधार पर बोर्ड स्तरीय पदो ंके उन्नयन तथा बोर्ड स्तरीय अतिरिक्त पदो ंके सृजन के लिए प्रस्तावों के संबंध में डीपीई का.ज्ञा. सं. 9(15)/99–जीएम–जीएल–29 दिनांक 9 अक्टूबर, 2000 निर्धारित वर्तमान दिशानिर्देशों में कोई बदलाव नहीं होगा।

6. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे डीपीई को प्रस्तुत करने के लिए सीपीएसई के श्रेणीकरण के लिए प्रस्तावों को संसोधित करते समय उपरोक्त दिशानिर्देशों का ध्यान रखें।

(डीपीई का. ज्ञा.सं. 9(17)/2011–जीएम, दिनांकः 30 नवम्बर, 2011)

*****